संख्या-848/2017/2222/22-2-2017-17(297)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेश उर्फ गनेशा पुत्र श्री धनीराम निवासी जनपद-महोबा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017, दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनेश उर्फ गनेशा पुत्र श्री धनीराम, जो अकौना, थाना-अजनर, जनपद-महोबा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा खेत में पानी लगाने के विवाद को लेकर दिनांक 07-02-1980 को 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा, फरसा व कुल्हाडी से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-103/1980 में भा0द0वि0 की धारा- 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हमीरपुर के आदेश दिनांक 30.03.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.07.2017 तक 06 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 10 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्तों की मृत्यु तथा 01 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति व स्वास्थ्य ठीक होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी गनेश उर्फ गनेशा (बन्दी संख्या-31/11) पुत्र श्री धनीराम निवासी जनपद-महोबा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 848/2017/2222/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in